

CENJOWS और NDMA के बीच समझौता ज्ञापन

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में, भारत की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मज़बूत करने की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज (CENJOWS) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

- इस साझेदारी का उद्देश्य 'संपूर्ण राष्ट्र (Whole of the Nation)' दृष्टिकोण के माध्यम से आपदा न्यूनीकरण, तैयारी और प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना है।
- संयुक्त पहल के लिये रूपरेखा:
 - सहयोगात्मक अनुसंधान: भारत सरकार को नीतित्तित इनपुट प्रदान करने के लिये आपदा प्रबंधन, NHDR परचालन और आपदा कूटनीति पर अध्ययन करना।
 - क्षमता निर्माण: सशस्त्र बलों के कर्मियों, NDMA अधिकारियों और अन्य प्रमुख एजेंसियों सहित हतिधारकों के लिये सेमिनार, कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
 - जागरूकता अभियान: राष्ट्रव्यापी जागरूकता पहल के माध्यम से आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देना।
 - अंतरराष्ट्रीय सहभागिता: भारत की वदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप आपदा प्रबंधन पर वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
 - CENJOWS की स्थापना वर्ष 2004 में रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी, और यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
 - CENJOWS का उद्देश्य हतिधारकों के लिये सिद्धांत और नीति निर्माण में सहायता के लिये शोध-आधारित विकल्प प्रदान करने और बहस को बढ़ावा देने के माध्यम से व्यापक राष्ट्रीय शक्तिके चालक के रूप में एकजुटता को बढ़ावा देना है।
- NDMA:
 - इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन के लिये भारत का सर्वोच्च वैधानिक निकाय के रूप में वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी।
 - इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें नौ सदस्य होते हैं, जिनमें से एक उपाध्यक्ष होता है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)